



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233434
CG-DL-E-15022022-233434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 643]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 662 (अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4062(अ) तारीख 30.09.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04.10.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पारादीप (ओडिशा) से सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) होते हुए नुमालीगढ़ (असम) तक नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के (बीजीपीएल से आईजीपीएल कनेक्टिविटी) नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन परियोजना के तहत असम राज्य में कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; और सक्षम प्राधिकारी को जनता से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : कामरूप			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कमलपुर	बार बंगशार	बार पलाहा	320	00	00	10
			337	00	00	10
			318	00	00	10
			357	00	05	35
			358	00	00	73
			356	00	06	85
			355	00	05	37
			359	00	03	15
			360	00	02	21
			361	00	01	55
			363	00	03	97
			362	00	00	25
			364	00	02	91
			365	00	01	43
			366	00	00	10
कमलपुर	बार बंगशार	गोग	962	00	01	34
			963	00	02	70
			964	00	04	17
			965	00	20	13
			967	00	08	54
			803	00	00	36

[फा. सं. आर-11025 (14)/1 / 2020—ओआर—I/ई-33827]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 662 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.4062(E) dated the 30.09.2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 04.10.2021, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Crude Oil under the Paradip – Numaligarh crude oil pipeline project (BGPL to IGGL Connectivity) of Numaligarh Refinery Limited from Paradip (Odisha) to Numaligarh (Assam) via Siliguri (West Bengal) in the District of Kamrup, Assam by Numaligarh Refinery Limited (NRL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the No-objections received by Competent Authority from the public to the laying of the pipeline.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Numaligarh Refinery Limited (NRL), free from all encumbrances.

SCHEDULE**District : Kamrup****State: Assam**

Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kamalpur	Bar Bangshar	Bar Palaha	320	00	00	10
			337	00	00	10
			318	00	00	10
			357	00	05	35
			358	00	00	73
			356	00	06	85
			355	00	05	37
			359	00	03	15
			360	00	02	21
			361	00	01	55
			363	00	03	97
			362	00	00	25
			364	00	02	91
			365	00	01	43

			366	00	00	10
Kamalpur	Bar Bangshar	Gog	962	00	01	34
			963	00	02	70
			964	00	04	17
			965	00	20	13
			967	00	08	54
			803	00	00	36

[F. No. 11025(14)/1/2020-OR-I/E-33827]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.